इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2023—फाल्गुन 19, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. 497—मप्रविनिआ—2023.— विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 42 धारा 61 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा, निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023)

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023)"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **उद्देश्य :**

इन विनियमों का उद्देश्य हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों तथा अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभारों हेतु निर्बाध खुली पहुंच के अवधारण की क्रियाविधि प्रदान करना है।

3. **परिभाषाएं :**

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;

(ख) **"अधिकोषण (बैंकिंग)"** से अभिप्रेत है ग्रिड में अन्तःक्षेपित हरित ऊर्जा जिसे हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आंकलित (क्रेडिट) किया जाकर अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभारों के साथ आहरित किया जा सके ;

(ग) **"अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र"** से अभिप्रेत है अधिकोषण (बैंकिंग) के क्रियाशील होने की तिथि से प्रारंभ होने वाली तीन माह की निरन्तर अवधि बशर्ते वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संभाव्यता पर

निर्भर, जिस हेतु कारण लिखित में अभिलेखित किये जाएंगे, अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र की अवधि को वित्तीय वर्ष के समापन पश्चात इसमें वृद्धि करने की पात्रता नहीं होगी तथा अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र में वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा एक से अधिक बार वृद्धि नहीं की जा सकेगी ;

(घ) **"केन्द्रीय आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ;

(ङ) **"केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण"** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एकल खिड़की हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रणाली को स्थापित तथा संचालन करने हेतु अधिसूचित किया गया केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (Central Nodal Agency);

(च) **"आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(छ) **"दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day Ahead Market (DAM)}"** से अभिप्रेत है एक विपणन केन्द्र जहां पावर एक्सचेंज(ों) पर दिवस पूर्व संविदाओं का लेन–देन संव्यवहार पर किया जाता है ;

(ज) **"जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel)"** से अभिप्रेत है ईंधन जैसे कि ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन या इनका संयोजन जिनका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में विद्युत के उत्पादन हेतु किया जाता है ;

(झ) **"हरित ऊर्जा (Green Energy)"** से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, जल–विद्युत (हायड्रो) तथा संचायक (स्टोरेज) (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो) या अन्य कोई प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए जैसा कि भारत सरकार द्वारा इसे समय–समय पर अधिसूचित किया जाए तथा इसमें विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 के नियम चार के उपनियम (2) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार हरित हायड्रोजन अथवा हरित अमोनिया को सम्मिलित करते हुए किसी क्रियाविधि को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसके द्वारा हरित ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने हेतु किया जाता है ;

(ञ) **"हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसकी 100 किलोवाट की संविदाकृत (contracted) मांग या स्वीकृत भार अथवा इससे अधिक या अन्य कोई सीमा जैसा कि आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ इस बारे में समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए, केवल आबद्ध (केप्टिव) उपभोक्ताओं को छोड़कर, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन हरित ऊर्जा स्त्रोतों से उनके स्वयं के उपयोग हेतु क़िसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा शासन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो आमजन को विद्युत आपूर्ति व्यवसाय में सन्निहित हो या फिर जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही हो तथा इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसका परिसर तत्समय हरित ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या किसी व्यक्ति से, यथास्थिति, संयोजित हो ;

(ट) **"नियम 2022"** से अभिप्रेत है विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन) नियम 2022 एवं अनुवर्ती संशोधन :

(ठ) **"नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत"** से अभिप्रेत जल–विद्युत (हायड्रो), पवन, सौर, जैव–भार (बाओमास), जैव–ईंधन (बाओफ्यूल), जैव–गैस (बाओगैस), बगास (bagasse), अपशिष्ट, नगरपालिक तथा ठोस अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए भूतापीय (geothermal), ज्वारीय (tidal), महासागरीय के प्रकार या इनका संयोजन, संचायक (स्टोरेज) के साथ या उसके बगैर भी तथा ऐसे अन्य स्त्रोत, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाएं :

(ड) **"आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges)"** से अभिप्रेत है, (हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विरूद्ध अधिरोपित प्रयोज्य प्रभार, यदि हरित ऊर्जा (खुली) पहुंच उपभोक्ता ऐसे विद्युत उत्पादन स्त्रोतों से जिनके साथ उनके द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हों, विद्युत उत्पादन, पारेषण व्यवस्थाओं में व्यवधानों (outages), तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से भी विद्युत की अधिप्राप्ति/अनुसूचीबद्ध करने में सक्षम न रह पाते हों।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC), मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC) या समुचित

आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता या आयोग के किसी अन्य विनियम में, यथास्थिति, इस हेतु समनुदेशित किया गया हो।

4. विस्तार क्षेत्र

ये विनियम इन विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (1) के अधीन परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निर्बाध (खुली) पहुंच को अनुज्ञेय करने हेतु लागू होंगे।

अध्याय 2

हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभार

5. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु प्रभार (Green Energy Open Access Charges)

हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे :

क. पारेषण (ट्रांसमिशन) प्रभार ;

ख. चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार ;

ग. प्रतिराज्यानुदान अधिभार (क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज) ;

घ. अतिरिक्त अधिभार ;

ङ. आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) जहां कहीं भी वे प्रयोज्य हों ;

च. अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभार जहां कहीं भी वे प्रयोज्य हों ; और

छ. समुचित आयोग के सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार प्रयोज्य अनुसूचीबद्ध शुल्क (शेड्यूलिंग फी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) प्रभार तथा विचलन प्रभार ।

6. पारेषण प्रभार (ट्रांसमिशन चार्जेस)

क) **अन्तर्राज्यीय (inter-state) पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु** : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किये गये अनुसार हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर ये प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे।

ख) **राज्यान्तरिक (intra-state) पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु** : आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किये गये अनुसार बहुवर्षीय विद्युत–दर (MYT) पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में अवधारित किये गये अनुसार हरित

ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर ये प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे:

परन्तु यह कि जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु एक समर्पित पारेषण प्रणाली का निर्माण किया गया हो तथा इसका उपयोग किसी निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा हो वहां ऐसी समर्पित प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसे आयोग से अनुमोदित कराया जाएगा। जब तक इसकी अधिशेष (surplus) क्षमता, यदि कोई हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु आवंटित न कर दी जाए, इस प्रकार के सम्पूर्ण प्रभार पूर्णतया ऐसे खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और कि अन्य निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को इस प्रकार की अधिशेष क्षमता के आवंटन पश्चात् निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं के मध्य प्रभार कुल आवंटित क्षमता के अनुपात में वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की अधिशेष क्षमता का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने के पश्चात् प्रभारों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की गई अधिशेष क्षमता की सीमा तक कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादक द्वारा निर्मित समर्पित तन्तुपथ (लाइनें) {जैसा कि इन्हें अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है} हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग किये जा रहे हों तो पारेषण प्रभार लागू न होंगे :

परन्तु यह और भी कि पारेषण प्रभारों के अतिरिक्त राज्यान्तरिक पारेषण हानि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं को लागू होगी जैसा कि इसे मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा समय–समय पर प्रयोज्य विनियमों के अनुसार अवधारित तथा अधिसूचित किया जाए।

7. **चक्रण प्रभार (व्हीलिंग चार्जेस) :** हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर चक्रण प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु एक समर्पित वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया हो

तथा इसका उपयोग किसी निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के विशेष प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो वहां ऐसी समर्पित प्रणाली हेतु चक्रण प्रभारों की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसे आयोग से अनुमोदित कराया जाएगा। जब तक इसकी अधिशेष (surplus) क्षमता अन्य व्यक्तियों अथवा प्रयोजनों हेतु आवंटित न कर दी जाए इस प्रकार के प्रभार पूर्णतया खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और कि अन्य निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को इस प्रकार की अधिशेष क्षमता के आवंटन पश्चात् हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं के मध्य प्रभार कुल आवंटित क्षमता के अनुपात में वहन किये जाएंगे ;

परन्तु यह और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की अधिशेष क्षमता का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के पश्चात् प्रभारों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की गई अधिशेष क्षमता की सीमा तक कम कर दिया जाएगा ;

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादकों द्वारा निर्मित समर्पित तन्तुपथ (लाइनें) {जैसा कि इन्हें अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है} निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग किये जा रहे हों तो चक्रण प्रभार लागू न होंगे ;

परन्तु यह और भी कि चक्रण प्रभारों के अतिरिक्त, चक्रण हानि (wheeling loss) आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित तथा जारी खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार हरित ऊर्जा खुली पहुंच हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं को लागू होगी।

8. **प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर प्रतिराज्यानुदान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में समय–समय पर अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि पारेषण तथा चक्रण प्रभारों के हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से माह के दौरान आहरित की गई वास्तविक ऊर्जा पर प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार का भुगतान करना होगा। अधिभार का भुगतान खुदरा विद्युत आपूर्ति प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिससे इच्छुक द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच से पूर्व विद्युत–आपूर्ति प्राप्त की जा रही थी :

परन्तु यह और कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र के रूप में की जा रही हा तो उसपर प्रतिराज्यानुदान (क्रॉस सब्सिडी) अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-Fossil fuel Waste-to-Energy) संयन्त्र से विद्युत प्राप्त की जा रही हो तो प्रतिराज्यानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से आहरित हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता है तो प्रतिराज्यानुदान अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता जो हरित ऊर्जा का क्रय नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र के माध्यम से करता हो तो उसके लिये उक्त वर्ष हेतु जिसके अन्तर्गत उसे निर्बाध (खुली) पहुंच को स्वीकार किया गया हो के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र के क्रियाशील होने की तिथि से बारह वर्ष की अवधि के दौरान निर्धारित किये गये प्रतिराज्यानुदान अधिभार में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि प्रतिराज्यानुदान अधिभार की राशि विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक न होगी।

9. **अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में समय–समय पर अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार के अतिरिक्त हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से माह के दौरान आहरित की गई वास्तविक ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त अधिभार की राशि का भुगतान प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिससे इच्छुक उपभोक्ता द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच से पूर्व विद्युत–आपूर्ति प्राप्त की जा रही थी :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा स्थाई (fixed) प्रभारों का भुगतान किया जा रहा हो तो उन्हें अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होंगे :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र के रूप में की जा रही हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित नही किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-Fossil fuel Waste-to-Energy) संयन्त्र से विद्युत प्राप्त की जा रही हो तो अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से आहरित हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को हरित ऊर्जा की आपूर्ति माह दिसम्बर, 2025 तक क्रियाशील की गई अपतटीय (off shore) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है तो उसे अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा।

10. **आपातोपयोगी सुविधा तथा प्रभार (Standby Facility and Charges)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा आपातोपयोगी प्रभारों का भुगतान किये जाने पर आपातोपयोगी सुविधा प्रदान की जाएगी जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अपने खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता ऐसे विद्युत उत्पादन स्त्रोत जिनसे उनके द्वारा अनुबंध निष्पादित किये गये हों के विद्युत उत्पादन में व्यवधान होने, पारेषण प्रणालियों में व्यवधान होने एवं समकक्ष परिस्थितियों के कारण विद्युत अधिप्राप्त /अनुसुचित करने में विफल रहते हों वहां उन्हें विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपातोपयोगी (Standby) व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच व्यवस्था हेतु आपातोपयोगी प्रभार उक्त उपभोक्ता श्रेणी हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के 25% से अधिक न होंगे :

परन्तु यह और भी कि आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई आपातोपयोगी ऊर्जा पर प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अतिरिक्त होंगे :

परन्तु यह और भी कि ऐसे आपातोपयोगी प्रभार लागू न होंगे यदि हरित ऊर्जा (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day ahead Market (DAM)} के द्वार बन्द होने (Gate-closure) से पूर्व न्यूनतम एक दिवस की पूर्व सूचना (नोटिस) 'D-1' दिवस के भीतर प्रदान की गई हो जहां 'D' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी का आपातोपयोगी प्रभार हेतु विद्युत–प्रदाय का दिवस।

11. बैंकिंग (अधिकोषण) सुविधा तथा प्रभार (Banking Facility and Charges)

क) हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकोषण (बैंकिंग) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 'हरित ऊर्जा' विद्युत उत्पादन केन्द्र से प्राप्त की गई अधिशेष ऊर्जा को ऊर्जा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा उसके स्वयं के परिसर में उसकी खपत पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में अधिकोषित किया जा सकेगा।

ख) हरित ऊर्जा (खुली) निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा अधिकोषित ऊर्जा (banked energy) का आहरण अनुसूचीकरण (scheduling)के अध्यधीन होगा।

ग) 'हरित ऊर्जा' विद्युत उत्पादन केन्द्र से ग्रिड की ओर ऊर्जा का अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) भी अनुसूचीकरण (scheduling) के अधीन, मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पुर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अध्यधीन किया जाएगा।

घ) बैंकिंग प्रभारों को प्रति माह कुल अधिकोषित की गई (banked) ऊर्जा के 8 प्रतिशत की दर से वस्तु (kind) के रूप में समायोजित किया जाएगा।

ङ) हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह अधिकोषित की गई ऊर्जा की अनुज्ञेय मात्रा हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई कुल मासिक खपत का न्यूनतम तीस प्रतिशत होगी।

च) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बैंकिंग प्रभारों का भुगतान किये जाने पर अधिकोषण (बैंकिंग) को न्यूनतम मासिक आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि अधिकोषित की गई ऊर्जा (banked energy) के आकलन को अनुवर्ती अधिकोषण चक्रों (banking cycles) की ओर आगे बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा इसे आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर आदेश में अवधारित किये गए उसी अधिकोषण चक्र के दौरान अव्यस्ततम अवधि (off-peak period) तथा व्यस्ततम अवधि (peak period) में अन्तःक्षेपित ऊर्जा के अनुसार समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा को व्यस्ततम (peak) तथा अ–व्यस्ततम (off-peak) अवधि में 15 मिनट के समय खण्ड (time block) में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा अ–व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित की गई ऊर्जा के आहरण की अनुमति अ–व्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड में बैंकिंग प्रभारों के भुगतान के आधार पर प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये गये अधिकोषण प्रभारों (बैंकिंग चार्जेज) का समाधान जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त खण्ड 10(घ) में किया गया

है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में क्रय की गई विद्युत की वास्तविक लागत के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकोषित ऊर्जा को लौटाये जाने हेतु तथा अतिरिक्त प्रभार, यदि कोई हों, के दावे हेतु अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु प्रस्तुत सत्यापन याचिका के साथ पृथक याचिका के माध्यम से किया जायेगा।

छ) प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अन्त में अधिशेष अधिकोषित ऊर्जा जो उपयोग में न लाई जा सकी हो, को व्यपगत (lapsed) हो जाना माना जाएगा :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र को, उक्त सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की पात्रता होगी।

12. अनुसूचीकरण शुल्क एवं विचलन प्रभार (Scheduling fees and Deviation Charges)

उपरोक्त उल्लेखित प्रभारों के अतिरिक्त, हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच लाभार्थी उपभोक्ता को समुचित आयोग के सुसंबद्ध विनियमों के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित किये गये निम्न प्रभारों का भुगतान भी करना होगा :

क) प्रयोज्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) शुल्क एवं प्रभार, अनुसूचीकरण प्रभारों (Scheduling Charges) को सम्मिलित करते हुए

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा विचलन व्यवस्थापन प्रभार (RE-DSM)

अध्याय 3

विविध (Miscellaneous)

13. दिशा–निर्देश जारी करने की शक्ति

आयोग समय–समय पर ऐसे दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वे इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त समझे जाएं।

14. शिथिल करने की शक्ति

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

15. संशोधन करने के अधिकार

आयोग समय–समय पर इन विनियमों के कतिपय उपबन्धों में परिवर्धन, परिवर्तन, निलम्बन, सुधार, संशोधन अथवा निरसन कर सकेगा।

16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो तथा कठिनाई दूर करने में वांछनीय हों।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, सचिव.

No. MPERC-2023-497 Bhopal, the 9th March 2023

In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003),read with Section 42, Section 61 and Section 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Madhya Pradesh State Electricity RegulatoryCommissionherebymakesthefollowingRegulations,namely-

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF OPEN ACCESS CHARGES AND BANKING CHARGES FOR GREEN ENERGY OPEN ACCESS CONSUMERSREGULATIONS, 2023 (G-46 of 2023)

CHAPTER 1

1. **Short Title and Commencement-**

   1.1. These Regulations shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023).

   1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

   1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Objective**

   TheobjectiveoftheseRegulationsistoprovideaMethodologyforthedetermination of Open Access Charges and Banking Charges for Green Energy Open Access Consumers.

3. Definitions

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) **'Act'** means the Electricity Act,2003 (36 of 2003);

(b) **'Banking'** means the surplus green energy injected in the grid and credited with the Distribution Licensee by the Green Energy Open Access consumers and which can be drawn along with charges to compensate additional cost, if any;

(c) **'Banking Cycle'** means a continuous period of 3 months starting from the date of commencement of banking provided that the Distribution Licensee depending upon the feasibility and for reasons to be recorded in writing shall be entitled to extend the period of banking cycle not beyond the end of a financial year and such extension of banking cycle shall not be altered more frequently than once in a financial year;

(d) **'Central Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(e) **'Central Nodal Agency'** means a Central Nodal Agency as notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy;

(f) **'Commission'** means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Act;

(g) **'Day Ahead Market (DAM)'** means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);

(h) **'Fossil Fuel'** means fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel or combination of these as its primary source of energy, which are used in Thermal Generating Station for generating electricity;

(i) **'Green Energy'** means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government

of India from time to time and shall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia as per provision of clause G of sub-rule (2) of rule 4 of Green Energy Open Access Rules, 2022;

(j) **'Green Energy Open Access Consumer'** means any person who has contracted demand or sanctioned load of 100 kW or more or such other limit as may be specified by Commission from time to time with the Distribution Licensee, except for captive consumers, who are supplied with electricity from green energy sources for their own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a Licensee, the Government or such person, as the case may be;

(k) **'Rules 2022'** means the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 and subsequent amendments;

(l) **'Renewable Energy Sources'** means the hydro, wind, solar, biomass, biofuel, biogas, bagasse, waste including municipal and solid waste, geothermal, tidal, forms of oceanic energy, or combination thereof, with or without storage and such other sources as may be notified by the Central Government from time to time; and

(m) **'Standby Charges'** means the charges applicable to Green Energy Open Access Consumers against the standby arrangement provided by the Distribution Licensee, in case such Green Energy Open Access Consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like.

(2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined

in the Act, Indian Electricity Grid Code (IEGC), Madhya Pradesh Electricity Grid Code (MPEGC) or any other Regulation of the Appropriate Commission shall have the meaning assigned to them under the Act or the IEGC or the MPEGC or any other Regulation of the Appropriate Commission as the case may be.

4. Scope

These regulations shall be applicable for allowing Open Access to electricity generated from renewable energy sources as defined under Clause (1) of Regulation 2 of these Regulations.

CHAPTER 2

GREEN ENERGY OPEN ACCESS CHARGES

5. Charges for Green Energy Open Access

The charges on Green Energy Open Access consumers shall be as follows: -

1.1.Transmission charges;
1.2.Wheeling charges;
1.3.Cross subsidy Surcharge;
1.4.Additional surcharge;
1.5.Standby charges wherever applicable;
1.6.Banking Charge; wherever applicable; and
1.7.Applicable Scheduling Fees/Charges of SLDC/RLDC and Deviation charges as per the relevant regulations of the Appropriate Commission.

6. Transmission Charges

a) **For use of inter-State transmission system:** Charges shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Central Commission from time to time.

b) **For use of intra-State transmission system:** Charges shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in MYT Transmission Tariff Orders from time to time:

Provided that, where a dedicated transmission system for open access has been constructed by Transmission Licensee and used for exclusive use of an Open Access Consumer, the Transmission Charges for such dedicated system shall be worked out by Transmission Licensee and shall get the same approved from the Commission. The charges shall be borne entirely by such Open Access Consumer till such time its surplus capacity, if any, is allotted and used by other persons or for other purposes:

Provided further that after allotment of such surplus capacity to other open access consumers, the charges shall be borne proportionately in the ratio of allotment of total capacity amongst the open access consumers:

Provided also that after utilization of such surplus capacity for other purposes by the transmission Licensee, the charges shall be reduced to the extent surplus capacity is used by Transmission Licensee:

Provided also that transmission charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generator are being utilized for supply to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided also that in addition to transmission charges, Intra-State transmission loss shall be applicable to consumers seeking Green Energy Open Access as may be determined and notified by State Load Despatch Center, Madhya Pradesh from time to time in accordance with applicable Regulations.

7. **Wheeling Charges:** Wheeling charges shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in Retail Supply Tariff order issued from time to time:

Provided that, where a dedicated distribution system for open access has been constructed by Distribution Licensee and used for exclusive use of an open access consumer, the wheeling charges for such dedicated system shall be worked out by Distribution Licensee and shall get the same approved by the Commission. Such charges shall be borne entirely by such open access consumer till such time the surplus capacity is allotted and used by other persons or for other purposes:

Provided further that after allotment of such surplus capacity to other open access consumers, the charges shall be borne proportionately in the ratio of allotment of total capacity amongst the Green Energy Open Access Consumer:

Provided also that after utilization of such surplus capacity for other purposes by the Distribution Licensee, the charges shall be reduced to the extent surplus capacity is used by Distribution Licensee:

Provided also that wheeling charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generators are being utilized for supply to the Open Access Customer:

Provided also that in addition to wheeling charges, wheeling loss shall be applicable to consumers seeking Green Energy Open Access as determined in the Retail Supply Tariff order of the Commission issued from time to time.

8. **Cross Subsidy Surcharge-** Cross subsidy surcharge shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff order from time to time:

Provided that Green Energy Open Access Consumer, in addition to transmission and wheeling charges, shall pay applicable cross subsidy surcharge on the actual energy drawn during the month through open access. The amount of surcharge shall be paid to the Distribution Licensee of the area of supply from whom the consumer was availing supply before seeking open access:

Provided further that such cross-subsidy surcharge shall not be levied

in case a person is availing green power from the plant established as captive generation plant for his own use:

Provided also that cross subsidy surcharge shall not be applicable in case Green Energy Open Access Consumer is availing power from a non-fossil fuel-based Waste-to-Energy Plant:

Provided also that the cross-subsidy surcharge shall not be applicable if green energy drawn through green energy open access is utilised for production of green hydrogen and green ammonia.

Provided further that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased by more than fifty percent of the cross-subsidy surcharge fixed for the year in which open access is granted during twelve years from the date of commissioning of the generating plant using renewable energy sources:

Provided also that the cross-subsidy surcharge shall not exceed 20% of average cost of supply.

9. **Additional Surcharge-** Additional surcharge shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff order from time to time.

Provided that Green Energy Open Access Consumer, in addition to transmission charges, wheeling charges and cross subsidy surcharge, shall pay additional surcharge on the actual energy drawn during the month through open access. The amount of additional surcharge shall be paid to the Distribution Licensee of the area of supply from whom the consumer was availing supply before seeking open access:

Provided further that the additional surcharge shall not be applicable for Green Energy Open Access Consumers, if fixed charges are being paid by such a consumer;

Provided also that such additional surcharge shall not be levied in case a person is availing green power from the plant established as captive generation plant for his own use:

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case Green Energy Open Access Consumer is availing power from a non-fossil fuel-based Waste-to-Energy Plant:

Provided also that the additional surcharge shall not be applicable if green energy drawn through green energy open access is utilised for production of green hydrogen and green ammonia:

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case of green energy is supplied to the Green Energy Open Access Consumer from offshore wind projects which are commissioned up to December 2025.

10. **Standby Facility and Charges-** Standby facility shall be granted to Green Energy Open Access Consumer on payment of standby charges as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff order from time to time:

Provided that in case the Green Energy Open Access Consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure green power due to outages of generator, transmission systems and the like, standby arrangement shall be provided to Green Energy Open Access Consumer by the Distribution Licensee of the area of its supply:

Provided further that the standby charges for Green Energy Open Access shall not be more than twenty-five per cent of the tariff applicable to that consumer category:

Provided also that the standby charges shall be in addition to the applicable tariff on standby energy supplied by the Distribution Licensee to the Green Energy Open Access Consumer:

Provided also that such standby charges shall not be applicable if the Green Energy Open Access Consumers have given notice, at least a day in advance before gate closure

in Day Ahead Market (DAM) on 'D-1' day, 'D' being the day of delivery of power, for standby arrangement to the Distribution Licensee.

11. Banking Facility and Charges

a) Banking facility shall be provided to the consumers availing Green Energy Open Access. The surplus energy of a green energy open access consumer, from a 'Green Energy' Generating Station, after consumption in its premises, may be banked with the Distribution Licensee.

b) The drawl of banked energy by the Green Energy Open Access Consumer shall be subject to scheduling.

c) The injection of energy from 'Green Energy' Generating Station to the grid shall also be subject to scheduling subject to the limits specified in MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters of wind and Solar generating stations) Regulations, 2018 as amended from time to time.

d) The Banking Charges shall be adjusted in each month in kind @ 8% of the total energy banked.

e) The permitted quantum of banked energy in each month by the Green Energy Open Access consumers shall be at least thirty percent of the total monthly consumption of electricity from the Distribution Licensee by the Green Energy Open Access consumers.

f) Banking shall be permitted at least on a monthly basis on payment of banking charges to the Distribution Licensee.

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent banking cycles and shall be adjusted during the same banking cycle as per the energy injected in the off-peak period and peak period determined by the Commission in its Retail Supply Tariff order from time to time:

Provided further that, the energy banked during peak period shall be permitted to be drawn during peak as well as off-peak period in 15 minutes time block and the energy banked during off-peak period shall be permitted to be drawn only during off-peak period in 15 minutes time block by paying the banking charges:

Provided also that the Licensee shall reconcile the banking charges recovered as mentioned in clause 10 (d) above at the end of each financial year on the basis of actual cost of power purchase arranged by the Licensee to return banked energy and claim additional expenses, if any, through a separate petition alongwith truing up petition of Retail Supply Tariff of subsequent financial year.

g) The un-utilised surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each banking cycle:

Provided that, the RE Generating Station would be entitled to Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy.

12. Scheduling Fees and Deviation Charges

In addition to above charges, the consumer availing Green Energy Open Access shall also pay the following charges determined by the Commission as per the provisions of the relevant regulations of the Appropriate Commission:

a) Applicable SLDC/RLDC fees and charges including scheduling charges

b) RE Deviation Settlement Charges (RE-DSM)

CHAPTER 3 MISCELLANEOUS

13. Power to give directions.

The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these Regulations.

14. Power to relax.

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

15. Power to amend.

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend, or repeal any provisions of these Regulations.

16. Power to remove difficulties.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions, not inconsistent to the provision of the Act and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.